

परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से र्वित आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/नीलामी
दि.30.04.2015
समय
प्रातः 10.30 बजे



स्थल : कार्यालय उप आवास आयुक्त (कानपुर जोन) आफिस कॉम्प्लेक्स (भू-तल) केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आवंटित दर/अनु. मूल्य प्रिडिक्ट सहित (रु. लाख में)	ए. आर.	ग्राउण्ड प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी. में)
केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर					
नर्सिंग होम भूखण्ड (01 नग)					
G/NH-1 ©	1951.20	29,568.00	1.20	40%	15.00
संस्थागत भूखण्ड (03 नग)					
INP-2	1450.40	26,880.00	1.50	35%	15.00
INP-5 ©	1344.00	29,568.00	1.50	35%	15.00
G/INS-1	2064.62	26,880.00	2.50	35%	15.00
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (सेक्टर-ई), कानपुर					
शापिंग भूखण्ड (02 नग)					
E/SHOPP-1 © (UNRESERVED)	791.19	39,424.00	1.20	40%	15.00
E/SHOPP-2 (RESERVED)	796.67	35,480.00	1.20	40%	15.00
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर					
व्यवसायिक भूखण्ड (03 नग)					
6/COM-1/3	420.00	29,120.00	1.50	55%	12.50
6/COM-1/4	450.00	29,120.00	1.50	55%	12.50
7/COM-1/12 ©	480.00	32,032.00	2.00	40%	10.00
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर					
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)					
Sector 1A ©	839.12	12,100.00	1.50	35%	10.00
Sector 1B ©	1805.00	12,100.00	1.50	35%	10.00
Sector 5G ©	834.75	12,100.00	1.50	35%	10.00
Sector 5H ©	1627.50	12,100.00	1.50	35%	10.00
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड (03 नग)					
7GH-02	8745.07	16,914.00	1.50	40%	-
7GH-03	4692.23	16,914.00	1.50	40%	-
7GH-04	7420.44	16,914.00	1.50	40%	-
लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (फर्स्टवाबाद)					
व्यवसायिक भूखण्ड (12 नग)					
3/C-9	162.00	17,920.00	1.20	40%	9.60
3/C-10	162.00	17,920.00	1.20	40%	9.60
3/C-16 ©	205.20	19,712.00	1.20	40%	9.60
3/C-54	200.00	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-40	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-41	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-44	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-45	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-47	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-60	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-62	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
4/C-63	310.80	17,920.00	1.20	40%	9.60
योजना संख्या-1 छिवरामऊ (कन्नौज)					
संस्थागत भूखण्ड (01 नग)					
INS-4/101	1287.33	8,686.00	1.50	35%	15.00

नीलामी द्वारा निस्तरित की जाने वाली व्यवसायिक (दुकानें एवं किराया) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	आवंटित दर/अनु. मूल्य प्रिडिक्ट सहित (रु. लाख में)
अम्बेडकरपुरम यो.सं.-3, (फेज-1) कानपुर		
दुकानें (28 नग)		
S-01 ©	14.97	15.10
S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07, S-08,		
S-09	14.42	14.70
S-10	14.97	15.10
SH-03	18.073	13.50
SH-04	18.172	13.65
SH-05, SH-06	18.073	13.50
SH-07	22.668	17.10
SH-08	18.073	13.50
SH-09	18.172	13.65
SH-10	18.073	13.50
SH-11, SH-12	18.834	14.10
SH-13	18.073	13.50
SH-14	18.172	13.65
SH-15	18.073	13.50
SH-16	22.668	17.10
SH-17, SH-18	18.073	13.50
SH-19	18.172	13.65
SH-20	18.073	13.50
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव		
दुकानें (12 नग)		
S-6, S-7, S-8		
S-9	9.74	6.57
S-10, S-11	10.21	6.89
S-12, S-13, S-14, S-15,		
S-16	9.74	6.57
S-17	10.21	6.89
किराया		
दुकानें (02 नग)		
K-1, K-2	7.455	4.71

सेक्टर/भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी. में)	वर्तमान भूमि दर+लीजरेंट +कॉर्नर शुल्क (कॉर्नर की स्थिति में) प्र.व.मी.	भूखण्ड का मूल्य दि. 01.04.14 से प्रभावी दर के अनुसार (रु. में)	बैंक ड्राफ्ट द्वारा बयाना धनराशि (रु. में)
केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)				
जी/एस.सी.एच.-02	3151.86	19360.00	61020010.00	6102001.00
पी.एस. सेक्टर-आई	1507.50	19360.00	29185200.00	2918520.00
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (02 नग) (लीज पर)				
भूखण्ड सं.-ए	960.00	15730.00	15100800.00	1510080.00
भूखण्ड सं.-सी	2448.00	15730.00	38507040.00	3850704.00
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (06 नग) (लीज पर)				
1/पी.एस.	3040.92	15730.00	47833680.00	4783368.00
सेक्टर-7/एन.एस.-6	1097.60	15730.00	17268394.00	1726840.00
सेक्टर-8/पी.एस.-1	894.00	15730.00	14062620.00	1406262.00
सेक्टर-8/एन.एस.-1	1104.50	15730.00	17373785.00	1737379.00
सेक्टर-8/एन.एस.-2	928.76	15730.00	14609395.00	1460940.00
9/पी.एस.-3	1507.75	15730.00	23716910.00	2371691.00
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)				
सेक्टर-ए एन.एस./पी.एस.	1390.50	12100.00	16825050.00	1682505.00
सेक्टर-1बी एन.एस./पी.एस.	935.45	12100.00	11318945.00	1131895.00
सेक्टर-1बी एन.एस./पी.एस.	1365.00	12100.00	16516500.00	1651650.00
सेक्टर-5जी एन.एस.	1402.50	12100.00	16970250.00	1697025.00
लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़				
शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
6बी.पी.एस.	973.76	9680.00	9425997.00	942600.00
गणेश विहार योजना, फतेहपुर				
शैक्षिक भूखण्ड (01 नग) (लीज पर)				
सेक्टर-1 एन.एस.	708.00	4961.00	3512388.00	351240.00

नोट :- (1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु नीलामी की तिथि को संस्था का पंजीकरण न्यूनतम तीन वर्ष पुराना होना एवं संस्था की विगत तीन वर्षों की बैलेन्सशीट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित होना अनिवार्य है। (2) उ.प्र. सरकार के निर्णयानुसार शैक्षिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा। (3) उ.प्र. सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियम एवं निर्देश आवंटनों पर प्रभावी होंगे। (4) शैक्षिक भूखण्ड हेतु विनियमावली सम्बन्धी पुस्तिका दिनांक 17.04.2015 से 16.05.2015 तक रु. 1000/- का नगद भुगतान कर प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। (5) शैक्षिक भूखण्डों की श्रेणी का निर्धारण यू.पी. बोर्ड/सी.बी.एस.ई. बोर्ड एवं अन्य द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप की जायेगी।

नियम व शर्तें :- (1) प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यवसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेन्ट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सब-डिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूल स्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उक्त विधि 2000 के अध्याय-3, भाग-5 के प्रस्तर 1, 5, 1 के अनुसार प्रश्रणगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर. व अनुमत्य ईकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि 2000 के अनुसार रहेगा। (2) समस्त सम्पत्तियों की नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (3) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (4) सम्पत्ति सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (5) आवासी सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो के साथ निर्धारित प्रारूप पर (आवेदन पत्र नीलामी के दो दिन पूर्व तक तथा सीलड बिड नीलामी से एक दिन पूर्व) कार्यालय कार्यादिवस में सायं 05.00 बजे तक जमा करना होगा। नीलामी तिथि को प्रातः 10.30 बजे तक टोकन निर्गत किये जायेंगे। तदोपरान्त प्रातः 11.00 बजे से नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। (6) आरक्षित भूखण्डों के विरुद्ध फर्म/पंजीकृत सोसाइटी पर कोई आरक्षण अनुमत्य नहीं है तथा पावर आफ एटार्नी एवं अधिकृत पत्र के आधार पर बोली लगाना अनुमत्य न होगा। (7) प्रदेशन के सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। (8) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी सम्बन्धी नियम व शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

परिषद से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायाल करें **1800-180-5333**
(टोल-फ्री) **0522-2236803**

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेवोत्तम प्रमाणित संस्था

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,

Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

आवास काय क्यूँ

IS 15700